न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 21/22 (प्रा.पत्र)

GCMS No: 2022/88

1. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी पिता स्व. चन्द्रपुरी जी गोस्वामी, निवासी खैरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 हाल 75–ई, आदर्श नगर, युनिवर्सिटी रोड, उदयपुर राज0।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री लालचन्द पिता भूरा लाल जी जाट निवासी खैरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।
2. श्री शंकर लाल पिता कन्नीराम जी मेनारिया (जोशी) मृतक के बजाय पुत्र
   2/1 श्री ऊंकार लाल पिता शंकरलाल मेनारिया (जोशी,)
   2/2 श्री हीरालाल मेंनारिया पिता श्री शंकरलाल मेनारिया (जोशी), निवासी खैरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. कैलाश चौबीसा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 29.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेरोदा, पटवार हल्का खेरोदा,, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में साबिक आराजी नम्बर 166 जिसके हाल आराजी नम्बर 491, 493 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा स्थित हैं। जिस पर कुआं खुदा हुआ है का प्रार्थी खातेदार काश्तकार हैं। तथा वर्षो से प्रार्थी ने अपने आराजी भूमि पर आराजी नम्बर 492 एवं आराजी नम्बर 494, 495, 496 के कोने से होकर अपनी आराजी 493 में आता–जाता हैं तथा वर्षो से इसी रास्ते से होकर अपने खेत व कुऐं पर आ जा रहा हैं। यह की विपक्षी संख्या 1 व 2 नें आराजी नम्बर 493 पर आने–जाने वाले रास्ता जो आराजी नम्बर 492 व 494, 495,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Siryi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

496 के कोने से होकर हैं उसे पत्थर व कांटेदार झाडीया डाल कर अवरोध कर दिया तथा प्रार्थी को अपने कृषि भूमि पर आने–जाने में व्यवधान पेदा कर दिया हैं जिससें प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर पा रहा हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं हैं जिससे विपक्षीगणों की आराजीयात में रास्ता भूमि प्रार्थी के खेत में जाने हेतु दिलाया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना है कि आराजी नम्बर 493 पर आने–जाने हेतु विपक्षीगणों की आराजी में से रास्ता भूमि प्रार्थी को दिलाया जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2/1, 2/2 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 2/1, 2/2 न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहनें पर विपक्षी संख्या 1, 2/1, 2/2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार हैं :–

I. पटवारी हल्का रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम खेरोदा की जमाबंदी संवत् 2078 – 81 के आराजी नम्बर 493 रकबा 1.2600 हैंक्टर मान प्रथम खातेदार कला देवी पुत्री चन्द्रपुरी 1/10, कांता देवी पुत्री चन्द्रपुरी 1/10, रमेशपुरी पुत्र चन्द्रपुरी 1/5, सुरेशपुरी पुत्र चन्द्रपुरी 1/2, सुशीला पुत्री चन्द्रपुरी 1/10 जाति गुसाई सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार आराजी नम्बर 492 रकबा 1.0800 हैंक्टर भूमि लालचन्द्र पुत्र भुरा जी जाट सा. देह के नाम दर्ज हैं आराजी नम्बर 712 रकवा 0.9800 हैंक्टर किस्म रास्ता बिलानाम सरकार दर्ज हैं।

II. प्रार्थी सुरेशपुरी गोस्वामी द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि आराजी नम्बर 493 में पहुॅच मार्ग हेतु राजस्व नक्शे में अंकित अनुसार आराजी नम्बर 712 किस्म रास्ते से होते हुये आराजी नम्बर 492 में से होकर आराजी नम्बर 493 में प्रस्तावित होकर रास्ता सबसे निकटतम हैं। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुॅचने का यह एक मात्र रास्ता हैं इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं हैं। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

भूमि रास्ते की सुविधा के लिये सही हैं इसकी अत्यधिक आवश्यकता हैं। प्रस्तावित रास्ते अनुसार ग्राम खेरोदा की डीएलसी दर 2008281/— रूपये प्रति हैक्टर के अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु 0.0140 हैक्टर भूमि की जमा योग्य राशि 56240 /— रूपये प्रस्तावित हैं।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी । प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया वह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी की आराजी नम्बर 493 में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी मे से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी की आराजी नम्बर 493 में पहुँचने के लियें विपक्षी की आराजी नम्बर 492 में से रास्ता प्रस्तावित किया हैं। प्रार्थी को अपने खेत तक पहुचने का यह एकमात्र रास्ता बताया गया हैं। इसके अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं हैं। इस रास्ते की प्रार्थी को अत्यधिक आवश्यकता हैं।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 493 में आने–जाने के लिये विपक्षी की आराजी नम्बर 492, 494, 495, 496 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। जो पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में विपक्षी की आराजी नम्बर 492 रकबा 1.0800 हैक्टर में से 0.0140 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 0.0140 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई सामान्य रास्ते खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरादा पटवार हल्का खेरादा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थी की आराजी नम्बर 493 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 492 रकबा 1.0800 हैक्टेयर में से 0.0140 हैक्टर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 2008281 रू/हैक्टेयर है। गणना अनुसार प्रस्तावित रास्ते की 0.0140 हैक्टर भूमि का दोगुना प्रतिकर 56240/— छप्पन हजार दो सौ चालीस रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी लालचन्द पुत्र भुरा को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। तहसीलदार भीण्डर उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। तहसीलदार भीण्डर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा दुगने प्रतिकर की राशि 56240 डिमांड राशि लेकर विपक्षी को दिलायी जावे। प्रार्थी द्वारा डिमांड राशि प्राप्त होने के बाद राजस्व रेकर्ड मे रास्तें का अक[illegible] इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पत्राव[illegible] से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner